फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

प्रार्थी–भूमिधारी तहसीलदार, सलूम्बर **बनाम** **विपक्षी** श्री गुलाबसिंह

कस्म मुकदमा :–रा.वा. (अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act.) **प्रकरण संख्या** :–13/2017

	कार्यवाही विवरण (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2017/00069)	
23–12–2025	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण आज नियत होने पर पैरवीकार सरकार तहसीलदार, सलूम्बर उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी पक्ष की ओर से आदेश 22 नियम 4 सहपठित नियम 9 जा.दी. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया गया कि प्रतिवादी श्रीमती भूरीबाई पत्नी मोडसिंह राजपूत, निवासी धारोद का निधन दिनांक 28.08.2018 से पूर्व हो चुका है। मृतका के विधिक वारिसानों को वादी द्वारा निर्धारित अवधि में कायम मुकाम नहीं किया गया है। मृत्युपरांत 90 दिवस की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण वाद आदेश 22 नियम 9 जा.दी. के अंतर्गत उपशमन हो चुका है। वादी ने बहस मे का.मु. पेश करने हेतु अवसर चाहा। बहस मनन की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्रीमती भूरीबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी सूचना न्यायालय में दिनांक 15.02.2019 को प्रस्तुत की जा चुकी थी। इसके बावजूद वादी द्वारा मृतका के विधिक वारिसानों को निर्धारित अवधि में पक्षकार नहीं बनाया गया। आदेश 22 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार नियत अवधि में कायम मुकाम प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रकरण प्रतिवादी श्रीमती भूरीबाई के संबंध में वाद आदेश 22 नियम 9 जाब्ता दीवानी के अंतर्गत उपशमन हो चुका है। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व जमाबंदी अवलोकन से जाहिर आया है कि मामला संयुक्त स्वामित्व भूमि का है, अतः निर्णय मृतक प्रतिवादी के बिना किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। - अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि यदि वे मृतक प्रतिवादी के वारिसों को पक्षकार बनाना चाहते हैं, तो नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक **23–12–2025** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर सलूम्बर सलूम्बर जिला सलूम्बर	

सहायक कलेक्टर सलूम्बर (राज.)